कार्यालय प्राचार्य, शहीद श्री मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय
खानपुर, जिला–झालावाड (राज.)
gckhanpur01@gmail.com

क्रमांकः रामखा/2022–23/ 349 दिनांक 15/11/2022

ऑफलाईन आवेदन दिशा निर्देश

राजकीय महाविद्यालय, खानपुर के सत्र 2022–23 के स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में ऑफलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थी दस्तावेजों को निम्न क्रम में जमा कर लावें–

1. एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र
2. टी. सी. एवं सी.सी. (मूल प्रति)
3. 10 वीं मार्कशीट (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)
4. 12 वीं मार्कशीट (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)
5. स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)
6. जाति प्रमाण पत्र/**EWS** प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि), मूल निवासी

Note:-

1. प्रवेश फार्म पूर्णतया भरा हुआ होना चाहिए ।
2. जाति प्रमाण पत्र/ **EWS** प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।
3. सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ भी सत्यापन हेतु साथ लेकर आवें।
4. प्रथम अंतरिम वरियता सूची के प्रकाशन के पश्चात प्रवेश शुल्क महाविद्यालय कार्यालय में ही जमा होगा।
5. प्रवेश फार्म महाविद्यालय कार्यालय से सशुल्क प्राप्त कर सकते है।
6. ऑफलाईन प्रवेश दिशा निर्देश एवं प्रवेश पात्रता नियम महाविद्यालय के सूचना बोर्ड पर भी चस्पा कर दिये गये है।

15/11/2022
उषा जैन
प्राचार्य
श. श्री. मु. बि. मीणा राजकीय महाविद्यालय
खानपुर (झालावाड

CS Scanned with CamScanner

5.7. स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय/तृतीय कक्षाओं में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण ।	अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों पर नियम 6.1 की शर्तें लागू होगी।

5.7.2 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं है। पार्ट प्रथम में नियमित एवं पार्ट द्वितीय में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्तें पूरी करने पर पार्ट प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले महाविद्यालय में प्रवेश देय होगा।

5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबकि –

(i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।

(ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हों।

5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner